

# माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल गवालियर म.प्र.

निवारनी २४९२-II/उज्जैन केम्प)

प्रकरण क्रमांक

/ 15

प्रार्थी अभिभाषक श्री  
द्वारा प्रस्तुत

दिनांक ३०.६.१५  
अधीक्षक  
आयुक्त न्यायालय  
उज्जैन

न्यायालय

३०.६.१५

५२८//  
३०/६/१५

श्रीमती धनकुंवर बाई पति खामसिंह

आयु-48 वर्ष लगभग, जाति पंवार

निवासी—ग्राम डोराबाद, तहसील कालापीपल

जिला शाजापुर ————— आवेदिका

विरुद्ध

1— गौरेलाल पिता श्री सिद्धनाथसिंह, जाति पंवार

2— खामसिंह पिता हीरालाल, जाति पंवार

3— सतीश पिता मानसिंह,

4— गोपाल पिता हीरालाल

5— मानसिंह पिता हीरालाल

6— देवराज पिता मुंशीलाल

7— हरिप्रसाद पिता रंजीतसिंह

8— करणसिंह पिता भंवरजी

सभी जाति पंवार, निवासीगण—ग्राम डोराबाद, तहसील  
कालापीपल जिला शाजापुर ————— अनावेदक

माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कालापीपल द्वारा प्रकरण  
क्रमांक १-अ / १३ / १४-१५ में पारित आदेश १३/५/२०१५ से  
दुखित व व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा ५०  
म.प्र.भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत आवेदक की ओर से निवेदन है कि :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, अनावेदक क्रं. १ द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष  
आवेदिका तथा अनावेदकगण क्रं. २ लगायत ८ के विरुद्ध एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ब्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2492-दो/15

जिला - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१०।।।९	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जय गोविंद व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५.८.१९ को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>3</p>	


  
प्रशासकीय सदस्य